

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] No. 515] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2008/आश्विन 1, 1930

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008/ASVINA 1, 1930

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

क्र.सं. पीसी VI/19

आरबी ई सं. 128/2008

सा.का.नि. 674(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को रेल सेवा (संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2008 कहा जाएगा ।
 - (2) इन्हें । जनवरी, 2006 से प्रवृत्त माना जाएगा ।
- 2. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची के 'भाग-ख' के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाए, अर्थात् :—

भाग-ग

क्षेत्रीय रेलों /उत्पादन इकाइयों और अन्य रेल कार्यालयों में कतिपय विनिर्दिष्ट पदों के लिए संशोधित वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन

| क्र. सं. | : पद | वर्तमान वेतनमान | संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | | |
|----------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | (रुपए) | वेतन बैंड का नाम | तदनुरूपी वेतन बैंड (रुपए) | ग्रेड वेतन (रुपए) |
| (1) | (2) | . (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) | 7500-12000 | पी.बी2 | 9300-34800 | 5400 (समूह 'खं' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए) |
| 2. | सहायक नर्सिंग अधिकारी (समृह 'ख' राजपत्रित) | 7500-12000 | पी.बी3 | 15600-39100 | 5400 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए) |
| 3. | प्रधानाचार्य/हैडमास्टर (माध्यमिक/हाई स्कूल और समतुल्य) (समृह 'ख' राजपत्रित) | 7500-12000 (मूल ग्रेड) | पी.बी3 | 15600-39100 | 5400 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए) |
| | | 8000-13500 (वरिष्ठ ग्रेड) | पी.बी3 | 15600-39100 | 6600 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए) |

| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|---|---|---|--|
| प्रधानाचार्य/हैंडमास्टर/मुख्याध्यापिका इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक | 10000-15200 | पी.बी3 | 15600-39100 | 7600 (समूह 'क' राजपत्रित) |
| विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित) | | | | |
| केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे बोर्ड/राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सहित) | 6500-10500 | पी.बी2 | 9300-34800 | 4600 (समूह 'ख' राजपत्रित के मौजूदा वर्गीकरण को बनाए रखा जाए) |
| | इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुदेशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित) केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे | इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित) केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक 6500-10500 पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे बोर्ड/राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सहित) | प्रधानाचार्य/हैंडमास्टर/मुख्याध्यापिका 10000-15200 पी.बी3 इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित) केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक 6500-10500 पी.बी2 पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे बोर्ड/राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सहित) | प्रधानाचार्य/हैंडमास्टर/मुख्याध्यापिका 10000-15200 पी.बी3 15600-39100 इंटरमीडिएट कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक बहुदेशीय विद्यालय (समूह 'क' राजपत्रित) केवल विभागीय पुस्तकालयों के सहायक 6500-10500 पी.बी2 9300-34800 पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (रेलवे बोर्ड/राष्ट्रीय रेल संग्रहालय सहित) |

[फा. सं. पी सी-VI/2008/आई/आर एस आर पी/1]

मैथ्य जॉन, सचिव

नोट: --- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं सा.का.नि. 643(अ), दिनांक 4-9-2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2008

S. No. PC VI/19

RBE No. 128/2008

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2008.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.
- 2. Below PART-B of the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the following entry shall be inserted, namely:—

Revised Pay Band and Grade Pay for certain specified posts in Zonal Railways/Production Units and other Railway offices

| S.No. | Post | Present Scale (Rs.) | Revised Pay Band & Grade Pay | | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| | | | Name of Pay Band | | Grade Pay (Rs.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) | 7500-12000 | PB-2 | 9300-34800 | 5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained) |
| 2. | Assistant Nursing Officer (Group 'B' Gazetted) | 7500-12000 | PB-3 | 15600-39100 | 5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained) |
| 3. | Principal/Head Master (Secondary/High School & equivalent) Group 'B' Gazetted | 7500-12000 (Basic Grade) | PB-3 | 15600-39100 | 5400 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained) |
| | | 8000-13500 (Senior Grade) | PB-3 | 15600-39100 | 6600 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained) |
| 4. | Principals/Head Master/Head Mistress, Intermediate College/ Higher Secondary Schools/Higher Secondary Multi-purpose Schools (Group 'A' Gazetted) | 10000-15200 | PB-3 | 15600-39100 | 7600 (Group 'A') |
| 5. | Assistant Library & Information Officers of departmental libraries only (including Railway Board/ NRM) (Group 'B' Gazetted) | 6500-10500 | PB-2 | 9300-34800 | 4600 (Existing classification of Group 'B' Gazetted to be retained) |

[F. No. PC-VI/2008/I/RSRP/J] MATHEW JOHN, Secy.

Note: The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide No. GSR 643 (E), dated 4-9-2008